21.12.22 पत्रावली पेश। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है तथा वादी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर